

#### The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012

Act No. 7 of 2013

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या– 10

पंजीकृत संख्या—य0ूए० / डी०ओ०—30 / 2012—14 (लाइसेन्स ट्र पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

> <u>असाधारण</u> विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 31 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2012

<u>देहरादून, 28 जनवरी, 2013</u> <u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 को दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, सन 2013 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 {उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2013}

# THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012 [UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

# उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 07 वर्ष 2013)

# <u>अनुक्रमणिका</u>

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय—एक	
1.	<b>प्रारम्भिक</b> संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	
2.	परिभाषाएं	
	अध्याय—दो बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ	
3.	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा	
4.	बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य	
	अध्याय—तीन	
5.	<b>बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण</b> सर्वेक्षण	
5. 6.	सर्वेक्षण की शक्ति	
	नुकसानी का संदाय	
7.		
	अध्याय—चार बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना	
8.	बाढ़ मैदानों क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा	
9.	सार्वजनिक सूचनाएं	
10.	आक्षेप	
11.	राज्य सरकार का विनिश्चय	
	अध्याय— पाँच बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन	
12.	बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति	
13.	शास्ति	
14.	अपराध शमन करने की शक्ति	
15.	अपील	
	पुनरीक्षण	

#### अध्याय— छः प्रतिकर

- 17. प्रतिकर का संदाय
- 18. सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन का अवधारण
- 19. प्रतिकर का ग्राह्य नहीं होना
- 20. अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरूद्ध आवेदन
- 21. धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ
- 22. विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिकी के रूप पर प्रवर्तनीय होना
- 23. अधिनिर्णय के अधीन संदाय

#### अध्याय- सात

#### प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

24. प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

#### अध्याय- आठ

#### विविध

- 25. बाढ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा
- 26. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना
- 27. सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण
- 28. जुर्माने की वसूली
- 29. न्यायालय की शक्ति
- 30. नियम बनाने की शक्ति
- 31. निरसन और अपवाद

### उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 07 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था के लिए

### <u>अधिनियम</u>

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :--

#### अध्याय—एक प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 है।
और प्रारम्भ		(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
		(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :
		परन्तु यह कि विभिन्न नदियों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों हेतु भिन्न—भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
परिभाषाएं	2.	इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
		(क) ''बाढ़ मैदान'' में जल सरणी, बाढ़ सरणी और लगभग जब तक कि प्रसंग या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में नीची भूमि का वह क्षेत्र सम्मिलित है, जो जलप्लावन के कारण आने वाली बाढ़ के लिए सुग्राही हों;
		(ख) 'बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण' से किस नदी के बाढ़ मैदानों में जहाँ नदियों और जलधाराओं से जल के अधिप्लावन के कारण मैदान बन जाते हैं, मानव गतिविधियों पर प्रतिबन्ध अभिप्रेत है;
		(ग) 'बाढ़ क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिससे अधिकतम सम्भावित बाढ़ प्रवाह बहा ले जाना अपेक्षित है;
		(घ) 'बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी' से नदी के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
		(ङ) 'भूमि' में भूमि के हित, भूमि से उत्पन्न फायदे या भूमि से संलग्न या भूमि से संलग्न किसी भी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी चीजों का समावेश है;
		(च) 'अधिभोगी' किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी भूमि में हित है और वह उस भूमि पर स्वयं खेती करता है, अपने सेवक या भाड़े के मजदूर से खेती करवाता है। इसमें काश्तकार भी शामिल है;
		(छ) 'स्वामी' से किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका ऐसी भूमि में हित है;
		(ज) 'विहित' से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
		(झ) 'नदी' में उसकी सहायक नदियों का समावेश है;
		(ञ) 'जल सरणी' से ऐसी सरणी अभिप्रेत है, जिसमें साधारणतः नदी का प्रवाह परिरूद्ध रहता है।

		अध्याय—दो
		बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ
बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा	3.	(1) जहाँ राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सरकारी राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी रीति से जो इस अधिनियम में आगे विनिर्दिष्ट की गई है, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण किया जायेगा।
		(2) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि जिन सीमाओं के निर्धारण हेतु नदी का सर्वेक्षण किया जाय, उनके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्ध चार्ट और पंजियां (रिजस्टर) तैयार किये जायं, जिनमें समस्त सीमाएं, भूमि—चिन्ह और ऐसी सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट किया जाय।
		(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में जिलाधिकारी या सरकार के ऐसे अन्य प्राधिकारी को उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनों के लिए बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे, और ऐसी अधिसूचना में वह उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य	4.	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अनुसार करेगा।
		अध्याय—तीन
		बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण
सर्वेक्षण	5.	(1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, नदियों के बाढ़ मैदानों का सर्वेक्षण करेगा और नदियों के बाढ़ मैदानों के स्वरूप और सीमा का अवधारण करेगा।
		(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रों की स्थापना करेगा और उन क्षेत्रों का आंकलन करेगा, जिसमें जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्पत्ति की अभिरक्षा के आशय से बाढ़ मैदान के उपयोग के आपेक्षिक जोखिम के सन्दर्भ में भूमि के वर्गीकरण का भी समावेश होगा।
		(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन वर्णित क्षेत्र दर्शाते हुए चार्ट और पंजिकाएं तैयार करेगा।
सर्वेक्षण की शक्ति	6.	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा अन्य इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह—
		(क) अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर प्रवेश करे और उसका सर्वेक्षण कर और उसका स्तर नापे;
		(ख) ऐसे स्तरों, सीमाओं और सीमा रेखाओं को चिन्ह अथवा सीमा पत्थर लगाकर चिन्हित करना;

[UII/II/G*G 4/6 44/1	17 (47 5)	<u>-</u>
		(ग) भूमि नापना;
		(घ) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये समस्त अन्य आवश्यक कार्य करना;
		(ङ) जहाँ सर्वेक्षण और स्तर नापना अन्यथा पूर्ण नहीं किया जा सकता और किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल को काटना या उसके किसी भाग को साफ करना विधि सम्मत होगा :
		परन्तु यह कि भूमि के ऐसे अधिभोगी को कम से कम इस आशय का सात दिन का नोटिस दिए बगैर (अधिभोगी की इसके लिए सहमति के बिना) कोई बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी या किसी निवास गृह से संलग्न किसी भवन, किसी बगीचे या खुले या बन्द प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा।
नुकसानी का संदाय	7.	(1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा इस निमित्त सामान्य अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जिसने धारा 5 के अधीन किसी भूमि पर प्रवेश किया है, उसे छोड़ने के पूर्व ऐसे किसी भी नुकसान के लिये जो कि भारित हुआ हो, ऐसी भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी को प्रतिकर देगा और इस प्रकार दी गयी राशि की पर्याप्तता के बारे में कोई विवाद होने की स्थिति में बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मामला विनिश्चय हेतु राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।
		(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे अपास्त या उपान्तरित कराने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई भी वाद नहीं लाया जा सकेगा।
		अध्याय—चार
		बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना
बाढ़ मैदानों क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा	8.	राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।
सार्वजनिक सूचनाएं	9.	(1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 8 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर क्षेत्र के
		सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना का सारांश सार्वजनिक रूप से सूचित करेगा।
		(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, क्षेत्र में स्थित भूमियों के स्वामियों को सूचनायें व्यष्टितः भी देगा।
		(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अभिलेख, चार्ट, नक्शे, पंजिकायें और अन्य दस्तावेज, नदी सरणी / बाढ सरणी और बाढ़ मैदान दर्शाते हुए क्षेत्र का स्वरूप और जिस सीमा तक उसका उपयोग प्रतिषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है, विनिर्दिष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट समयों पर आम जनता की जानकारी हेतु कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

\_\_\_\_\_

आक्षेप	10.	(1)	कोई व्यक्ति, जो धारा 9 में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं
		()	के प्रतिबन्धों या निर्बन्धनों के प्रति आक्षेप करना चाहता हो, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर अपने आक्षेप उपवर्णित करते हुए एक लिखित विवरण बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा।
		(2)	उपरोक्त कालाविध की समाप्ति के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी विहित रीति से नोटिस जारी करेगा और सम्बन्धित पक्ष को मामले की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर देने के पश्चात् आक्षेपों पर विचार करेगा।
		(3)	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ उसके और अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
राज्य सरकार का विनिश्चय	11.	(1)	राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् क्षेत्र की परिसीमाओं में ऐसे परिवर्तन करने का आदेश देगी, जैसा वह आवश्यक समझे।
		(2)	राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
		(3)	राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध विनिर्दिष्ट सीमाओं परिसीमाओं सहित उक्त नदी पर लागू होंगे :
			परन्तु यह कि नदी के भराव क्षेत्र में पूर्व से अवस्थित मानवीय बस्तियों को पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
		(4)	राज्य सरकार द्वारा अंकित और अनुमोदित क्षेत्र बाढ़ मैदान समझे जायेंगे और सीमाएं, जहाँ आवश्यक हो, सीमा के पत्थरों या अन्य उपयुक्त चिन्हों द्वारा चिन्हित की जायेंगी।
		(5)	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस प्रकार वर्णित ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र और पंजिकाएं रखेगा और ऐसे मानचित्र तथा पंजिकाएं कार्यालय के स्थायी अभिलेखों का भाग समझी जायेगी।
		(6)	उपधारा (5) के अधीन रखे गये मानचित्र और पंजिकाएं उस जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नदी का कोई भाग स्थित है और ऐसे समय पर आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा विहित किया जाये।
			अध्याय— पाँच
			बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन
बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति	12.	(1)	जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्पत्ति के हित में या आम जनता की असुविधा को कम करने के हित में बाढ़ मैदानों में गतिविधियाँ प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करना आवश्यक है, वहाँ सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा वह क्षेत्र, जिसमें प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन प्रवृत्त किया जाना है और ऐसे प्रतिषेध या निर्बन्धन का स्वरूप और सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

\_\_\_\_\_

	17 1 17 1	PI SIGNIGA, 20123
		परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से <sup>1</sup> {अठारह मास} की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जायेगी।
		(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि, करार अथवा लिखत में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषेद्ध अथवा निर्बन्धन अभिभावी रहेगा।
		(3) कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की पूर्वानुमित के बिना निर्बन्धित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई गतिविधि आरम्भ नहीं करेगा :
		परन्तु यह कि जब कोई व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कोई गतिविधि आरम्भ करने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन करता है और बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की कालाविध के भीतर उक्त व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है कि आवेदित अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी गई है, वहाँ यह उपधारित किया जायेगा कि बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ने उक्त अनुज्ञा दे दी है।
शास्ति	13.	यदि कोई व्यक्ति धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और शर्तों के प्रतिकूल कोई गतिविधि प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है या करने कां प्रयत्न करता है तो वह :-
		(क) जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर साधारण कारावास से, जो दो मास तक हो सकेगा; और
		(ख) खण्ड (क) के अधीन दोष सिद्ध के पश्चात उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा।
अपराध शमन करने की शक्ति	14.	(1) राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसी शर्तों के, जो कि विहित की जाये, अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् उस व्यक्ति से, जिसने अपराध किया है या जिस पर कोई अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह है, एक हजार रूपये से अनिधक धनराशि स्वीकार कर सकेगा।
		(2) ऐसी धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपराध से उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
अपील	15.	(1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे उक्त विनिश्चय की संसूचना दी गई थी, नब्बे दिन की कालाविध के भीतर उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाये:
		परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि अपीलार्थी ससमय किसी कारणवश नहीं कर पाया था, अपील दाखिल तो वह 90 दिन की कालावधि की समाप्ति पर भी अपील पर विचार कर सकेगा।

		(2) विहित प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्
		ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम
		होगा।
पुनरीक्षण	16.	(1) जहां धारा 15 के अधीन कोई अपील नहीं की गयी है, वहां राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी आदेश, जाँच या कार्यवाहियों की वैधता, औचित्य या शुद्धता के
		परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की जाँच या कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगी और मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे :
		परन्तु यह कि ऐसे आदेश की तारीख से छः मास समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसा कोई अभिलेख नहीं मंगाया जायेगा।
		(2) राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी भी आदेश में किसी भी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
		अध्याय— छः
		प्रतिकर
प्रतिकर का संदाय	17.	(1) जहाँ किसी भी व्यक्ति को बाढ़ मैदान में कोई कार्यकलाप हाथ में लेने की अनुज्ञा देने
		से इन्कार कर दिया गया हो या जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित, प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई नुकसान
		होता हो तो वहाँ वह ऐसे प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा, जो भूमि अर्जन
		अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं० ०१ वर्ष 1894) की धारा 23 एवं 24 के अधीन
		अवधारित भूमि के मूल्य और उस मूल्य के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा, जो कि
		उसे उस तिथि में मिलता कि जब किसी कार्यकलाप के क्रियान्वयन की अनुज्ञा मिल गई होती या जब निर्बन्धन अथवा प्रतिषेद्ध अधिरोपित नहीं किया गया होता।
		(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करने में ऐसे किसी भी
		निर्बन्धन पर विचार किया जायेगा, जिसके कि अध्यधीन वह भूमि, प्रतिकर का दावा
		करने वाले व्यक्ति के, उस भूमि पर कोई भी कार्य करने या उस भूमि के अन्यथा उपयोग के, अधिकार के सम्बन्ध में, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन है।
सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन का अक्धारण	18.	(1) जिस व्यक्ति को धारा 17 के अधीन प्रतिकर संदत्त किया जाना है तथा ऐसी धनराशि का प्रभाजन, जिसमें व्यक्ति हितबद्ध है, उसका निर्धारण प्रतिकर में हितबद्धता का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा, करार द्वारा अवधारित किया जायेगा।
		(2) ऐसे किसी करार के अभाव में, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, ऐसी जाँच जो वह आवश्यक समझे :——
		(क) धारा 17 के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि;
		(ख) प्रतिकर का ऐसे व्यक्तियों में, जिनका उसमें हितलाभ होने की जानकारी अथवा विश्वास किया जाता है, प्रभाजन अवधारण कर, अधिनिर्णय (अवार्ड) देगा :
		परन्तु यह कि जहाँ प्रतिकर की राशि दस हजार रूपये से अधिक हो, वहाँ राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई अवार्ड नहीं किया जायेगा।
L	<u> </u>	

प्रतिकर का ग्राह्य			कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, यदि :–
नहीं होना			(क) जहाँ तक भूमि उस तारीख को जिस दिन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्बन्धन अधिरोपित किये गये थे, प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रवृत्त सारतः वैसे ही निर्बन्धनों के अध्यधीन है; या
			(ख) यदि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्णतः समान निर्बन्धनों के सम्बन्ध में दावेदार या उसके पूर्वाधिकारी, जिसका दावे में हितबद्धता है, भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का पहले ही संदाय कर दिया गया है;
			(ग) किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए।
		(2)	यदि किसी व्यक्ति ने अनिधकृत रूप से कोई गतिविधि आरम्भ की गयी है तो ऐसी गतिविधि से भूमि के मूल्य में वृद्धि पर भूमि के मूल्य का आंकलन करते समय विचार नहीं किया जायेगा।
अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरूद्ध आवेदन	20.	(1)	धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त प्राधिकृत करे, आवेदन कर सकेगा।
		(2)	उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाये और अवार्ड की संसूचना प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर किया जायेगा।
		(3)	इस धारा के अधीन किये गये आवेदन का निपटारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।
धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रकिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ	21.	(1)	धारा 20 के अधीन आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 05 वर्ष 1908) की धारा 141 के अर्थान्तर्गत कार्यवाहियाँ समझा जायेगा और उसका विचारण करने में निर्देश विनिश्चय करने के लिये सशक्त प्राधिकारी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।
सायराया		(2)	जाँच का क्षेत्र राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।
विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिकी के रूप पर प्रवर्तनीय होना	22.		धारा 21 के अधीन निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय होगा।
अधिनिर्णय के अधीन संदाय	23.		धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर अथवा धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अभिनिर्णय दे दिये जाने पर या ऐसे अभिनिर्णय के विरूद्ध धारा 20 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है तो प्राधिकारी के विनिश्चय के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का संदाय किया जायेगा और ऐसे संदाय पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 01, वर्ष 1894) की धारा 31 से 35 के उपबन्ध लागू होंगे।

		अध्याय– सात
		प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति
प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति	24.	(1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भूमि के किसी स्वामी अथवा अधिभोगी को कोई कार्य करने या अनिधकृत अवरोध हटाने का ऐसे समय के अन्दर जैसे विनिर्दिष्ट किया जाय, निदेश दे सकता है और भूमि का स्वामी अथवा अधिभोगी ऐसा कार्य करेगा और अवरोध हटायेगा।  (2) यदि स्वामी या अधिभोगी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के अन्दर बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी वह कार्य करवा सकेगा और अवरोध हटवा सकेगा।  (3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया समस्त व्यय ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा जायेगा।
		अध्याय— आठ
		विविध
बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा	25.	कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी का इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन ऐसे प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कार्य का निर्वहन करने से रोकता है, उसके लिये यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 186 के अधीन अपराध किया है।
बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना	26.	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।
सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण	27.	(1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, जो ऐसे किसी भी बात के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम अथवा आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो, राज्य सरकार ऐसे किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग या किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहा हो।
		(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसी किसी वाद के लिए कारित या कारित होने के लिए सम्भाव्य किसी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरूद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो।
जुर्माने की वसूली	28.	इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्माने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संo 2 वर्ष 1974) में उपबंधित रीति से वसूल किये जायेंगे।
न्यायालय की शक्ति	29.	सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न के निस्तारण, विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी, जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, निस्तारित, विनिश्चित किया जाना या

	जिस पर कार्यव	ाही किया जाना	अपेक्षित है।	

\_\_\_\_\_

## 

<u> </u>	77 447 -	7 - 01-41 14 1, 2012
नियम बनाने की शक्ति	30.	(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
		(2) विशेष रूप से पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकेंगे :-
		(क) वह रीति, जिससे चार्ट और अभिलेख रखे जायेंगे;
		(ख) वह प्ररूप और रीति जिससे धारा 20 के अधीन आवेदन किया जायेगा और वह रीति, जिससे ऐसे आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा; तथा
		(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना हो या किया जाए।
		(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया जाने वाला प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र 14 दिन की कुल अविध के एक या दो या अनुवर्ती सत्रों में हो, प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपरोक्त सत्र या अनुवर्ती सत्र के तुरन्त कि नियम न बनाया जाय तो तत्पश्चात् यथास्थिति नियम ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावित हो जायेगा तथापि ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण का इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो। बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व यदि सदन उक्त नियम में कोई उपान्तरण के लिये सहमत हो जाता है तथा सदन सहमत हो जाता है।
निरसन और अपवाद	31.	(1) उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
		(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

\*\*\*\*\*\*\*\*

# THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012 [UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

# **INDEX**

Section	Particular Particular	Page No.
1	2	3
	CHAPTER-I	
	PRELIMINARY	
1.	Short title, extent and commencement	
2.	Definitions	
	CHAPTER-II	
	FLOOD ZONING AUTHORITY AND IT'S POWERS	
3.	Declaration of flood plain zoning	
4.	Powers and functions of the Flood Zoning Authority	
	CHAPTER - III	
5.	SURVEYS AND DELINEATION OF FLOOD PLAIN AREA Survey	
6.	Power to take up survey	
	• •	
7.	Payment of damages	
	CHAPTER-IV	
8.	NOTIFICATION OF LIMITS OF FLOOD PLAINS  Declaration of intention of State Government to demarcate	
0.	flood plains areas	
9.	Public Notices	
10.	Objections	
11.	Decision of State Government	
11.	Decision of State Government	
	CHAPTER-V	
	PROHIBITION OR RESTRICTION OF THE USE OF THE	
1.0	FLOOD PLAINS	
12.	Power to prohibit obstruction etc. in flood plain	
13.	Penalty	
14.	Power to Compound	
15.	Appeal	
16.	Revision	

#### **CHAPTER-VI**

#### COMPENSATION

	COMPENSATION
17.	Payment of compensation
18.	Determining the compensation and apportionment by
	consent
19.	Compensation not admissible
20.	Application against award
21.	Procedure and powers of authorities in deciding applications under section 20
22.	Decision enforceable as decree of civil court
23.	Payment under award
	CHAPTER-VII
	POWER TO REMOVE OBSTRUCTIONS AFTER PROHIBITION
24.	Power to remove obstructions
	CHAPTER-VIII
	MISCELLANEOUS
25.	Preventing Flood Zoning Authority from doing any act to be an offence
26.	Flood zoning Authority other officers to be public servants
27.	Protection of action taken in good faith
28.	Recovery of fine
29.	Power of Court
30.	Power to make rules

31.

Repeal and Saving

# THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012 [UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

#### An Act

to provide for the zoning of flood plains of rivers in the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:--

#### CHAPTER-I PRELIMINARY

Short title,	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012.
		(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.
commencement		(3) This section shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:
		Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act, and for different areas of different rivers.
Definitions	2.	In this Act, unless the context otherwise requires:-
		(a) "Flood Plain" includes water channel, flood channel and that area of nearly low and which is susceptible to flood by inundation;
		<b>(b) "Flood Plain Zoning"</b> means restricting any human activity in the flood plains of a river where the plains are created by overflow of water from the channels of rivers and streams;
		(c) "Flood Zone" means the area which is required to carry the flow of the maximum probable floods;
		(d) "Flood Zoning Authority" in relation to river, means the authority appointed by the State Government under section 3;
		(e) "Land" includes interest in lands, benefits arising out of lands and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;
		(f) "Occupier" in respect of any land, means any person who has an interest in the land and cultivates the land himself or by his servants or by hired labour and includes a tenant;
		(g) "Owner" in relation to any land includes any person having interest in such land;
		(h) "Prescribed" means prescribed by rules made by the State Government under this Act;
		(i) "River" includes its tributaries; and
		(j) "Water Channel" means the channel in which the flows of a river are generally confined.

[The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012]

		CHAPTER-II			
		FLOOD ZONING AUTHORITY AND IT'S POWERS			
Declaration of flood plain zoning	ation of 3. (1) Where the State Government considers it necessary or				
		(2) The State Government may direct that a survey be made of a river for the purpose of determining the limits within which the provisions of this Act are to be applied and that proper charts and registers be prepared specifying all boundaries and landmarks and any other matter necessary for the purpose of ascertaining such limits.			
		(3) The State Government may by notification in the Official Gazette appoint the Collector of the District or such other authority as the Government considers necessary, as the Flood Zoning Authority for the purposes of making a survey of the area as required under sub-section (2) and may specify in such notification, the duties to be discharged by such authority.			
Powers and functions of the Flood Zoning Authority	4.	The Flood Zoning Authority shall exercise the powers and discharge the duties in accordance with the provisions of this Act and the terms and conditions specified in the notification under sub-section (3) of section 3.			
		CHAPTER - III			
		SURVEYS AND DELINEATION OF FLOOD PLAIN AREA			
Survey	5.	(1) The Flood Zoning Authority shall carry out surveys of flood plains of the rivers and determine the nature and the extent of flood plains of the rivers.			
		(2) The Flood Zoning Authority shall, on the basis of the survey carried out under sub-section (1) establish flood plain zones and delineate the areas which are subject to flooding including classification of land with reference to relative risk of flood plain use intended to safeguard the health, safety and property of the general public.			
		(3) The Flood Zoning Authority shall prepare charts and registers indicating the areas delineated under sub-section (2).			
Power to take up survey	6.	It shall be lawful for the Flood Zoning Authority or any of the officers generally or specially authorized by it in this behalf-			
		(a) to enter upon and survey and take levels of any land within its or his jurisdiction;			
		(b) to mark such levels, boundaries and lines by placing marks or boundary stones;			

[The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012]

[Ine Ullaraknana	FIOO	a Plain Zoning Act, 2012]		
		(c) to measure the land;		
		(d) to do all other acts necessary for the purposes of ascertaining the limits referred to in sub-section (2) of section 3; and		
		(e) Where otherwise the survey cannot be completed and the levels taken, to cut down and clear away any part of standing crop, fence or jungle:		
		Provided that no Flood Zoning Authority or any other officer shall enter into any building or open any enclosed court or garden attached to a dwelling-house (unless with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least seven days notice in writing of its or his intention to do so.		
Payment of damages	7.	(1) The Flood Zoning Authority or any other officer generally or specially authorized by it in this behalf, who has entered upon any land under section 5 shall, before leaving, tender compensation to the owner or occupier of such land for any damage which may have been caused and in case of dispute as to the sufficiency of the amount so tendered, the Flood Zoning Authority or such officer shall refer the matter to the State Government for its decision.		
		(2) The decision of the officer under sub-section (1) shall be final and no suit shall lie in a civil court to have it set aside or modified.		
		CHAPTER-IV		
		NOTIFICATION OF LIMITS OF FLOOD PLAINS		
Declaration of	8.	The State Government may on the basis of a report from the Flood		
intention of		Zoning Authority or otherwise, by notification in the Official Gazette,		
State		declare its intention to demarcate the flood plain areas and either		
Government to demarcate		prohibit or restrict the use of land therein.		
flood plains				
areas				
Public Notices	9.	(1) The Flood Zoning Authority shall, on the issue of notification under section 8, cause public notice of the substance of such notification		
		to be given at convenient places in the area.		
		(2) The Flood Zoning Authority shall also give notices individually to the owners of the lands situated in the area.		
		(3) The Flood Zoning Authority shall exhibit records, charts, maps, registers and such other document showing the river channel, flood channel and the flood plain area, specifying the nature and extent to		

[The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012]

Objections	10.	<ol> <li>Any person, who desires to raise any objection to the limits and either the prohibitions or restrictions specified in the public notice referred to in section 9, may within a period of sixty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, forward to the Flood Zoning Authority a statement in the writing setting forth his objections.</li> <li>After the expiry of the period aforesaid, the Flood Zoning Authority shall issue a notice in a manner prescribed and consider the objections after giving the party concerned a reasonable opportunity of being heard in the matter.</li> </ol>
		(3) The Flood Zoning Authority shall forward to the State Government its or his proposals together with the records referred to in subsection (3) of section 9.
Decision of State Government	11.	(1) The State Government shall after considering the report of the Flood Zoning Authority, order such alteration in the limits of the area as it considers necessary.
		(2) The decisions of the State Government shall be final.
		(3) The State Government shall by notification in the Official Gazette, declare that the provisions of this Act shall apply to the said river with boundaries and limits as specified: Provided that the State Government shall also make arrangement for rehabilitation of Colonies already existing in the flood plain.
		(4) The areas delineated and approved by the State Government shall be deemed to be the flood plain and the limits shall, where necessary be marked either by boundary stones or other suitable marks.
		(5) The Flood Zoning Authority shall maintain the charts and registers of such areas so delineated and such charts and registers shall form part of the permanent records of the office.
		(6) The charts and registers maintained under sub-section (5) shall be furnished to the Collector of the District in which any part of the river is situated and shall be opened for inspection by the general public at such times as may be prescribed.
		CHAPTER-V
		PROHIBITION OR RESTRICTION OF THE USE OF THE FLOOD PLAINS
Power to prohibit obstruction etc. in flood plain	12.	(1) Where the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the interest of public health, safety or property or reducing the inconvenience to the general public to prohibit or restrict the activities in the flood plain, the Government may, by notification in the Official Gazette, specify the area where such prohibition or restriction is to be enforced and the nature and extent of such prohibition or restriction:

\_\_\_\_\_

#### [The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012]

		Provided that no notification under this sub-section shall be
		issued after the expiry of <sup>1</sup> [eighteen months] from the date of publication of notification under section 8.
		(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1), notwithstanding anything contained in any law, custom, agreement of instrument, for the time being in force, the prohibition or restriction specified in such notification shall prevail.
		(3) No person shall undertake any activity within the prohibited area or restricted area except with the previous permission of Flood Zoning Authority:
		Provided that where a person makes an application to the Flood Zoning Authority for permission under this sub-section to undertake any activity and the Flood Zoning Authority does not within a period of ninety days from the date of receipt of such application, communicate to the said person that permission applied for has been refused, it shall be presumed that he Flood Zoning Authority has granted such permission.
Penalty	13.	If any person commences or carries on or attempts to carry on any activity in the areas specified in the notification under sub-section (1) of section 12 contrary to the terms and conditions specified in such notifications, he shall be punishable-
		(a) with fine which may extend to five hundred rupees and in default of payment of fine, with simple imprisonment for the term which may extend to two months; and
		(b) with further fine which may extend to one hundred for each day during which the offence continues after the conviction under clause (a).
Power to Compound	14.	(1) Subject to such conditions as may be prescribed, any officer authorized by the State Government by a general or special order in this behalf may, either before or after the institution of proceedings under this Act, accept from the person who has committed or is reasonably suspected of having committed and offence, a sum of money not exceeding one thousand rupees.
		(2) On the payment of such sum of money, such person shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.
Appeal	15.	(1) Any person aggrieved by any decision of the Flood Zoning Authority may prefer an appeal to an authority prescribed by the State Government in this behalf, within a period of ninety days from the date on which such decision was communicated to him:
		Provided that the prescribed authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

[The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012]

		(2) The prescribed authority may, after giving a reasonable opportunity to the appellant of being heard, pass such orders as it thinks fit and the decision thereof shall be final.
Revision	16.	(1) Where no appeal has been preferred under section 15, the State Government may, for the purpose of examining the legality propriety or correctness of any order, inquiry or proceedings of the Flood Zoning Authority, call for the records of any enquiry or proceedings of the Flood Zoning Authority and make such order in the case as it think fit:  Provided that no such record shall be called after the expiry of six
		months form the date of such order.
		(2) No order of the Flood Zoning Authority shall be varied by the State Government so as to prejudicially effect any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard in the matter.
		CHAPTER-VI COMPENSATION
Payment of compensation	17.	(1) Where any permission to undertake any activity in the flood plain has been refused to any person or where as a result of prohibition or restriction imposed on any person under this Act, such person suffers any damage, he shall be entitled to the payment of compensation not exceeding the difference between the value of the land as determined under section 23 or section 24 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 01 of 1894) and the value which it would have, had the permission for carrying on any activity had been granted or the prohibition or restriction had not been imposed.
		(2) In determining the amount of compensation under sub-section (1) any restriction to which the land is subjected to under any other law for the time being in force in regard to the right of the person claiming compensation to carry on any activity on the land or otherwise to the use of the land shall be taken into consideration.
Determining the compensatio n and	18.	(1) The person to whom the compensation under section 17 is to be paid and the apportionment of such amount among the persons interested therein shall be determined by agreement between the Flood Zoning Authority and the person or persons claiming interest therein.
apportion- ment by consent		(2) In default of any such agreement, the Flood Zoning Authority shall, after holding such enquiry as it considers necessary, make an award determining:-
		(a) the amount of compensation to be paid under section 17; and
		(b) the apportionment, if any, of such compensation among persons known or believed to be interested therein;
		Provided that where the amount of compensation exceeds ten thousands rupees, no award shall be made without the previous approval of the State Government or such other officer as the State Government may authorized in this behalf.

[The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012]

Compensation	19.	(1) No compensation shall be awarded
not admissible		(a) if and in so far as the land is subject to substantially similar restriction in force under some other law in force on the date on which the restrictions were imposed by or under this Act; or
		(b) if compensation in respect of the same restrictions imposed by or under this Act or substantially similar restrictions in force under some other law has already been paid in respect of the land to the claimant or any predecessor in interest of the claim; or
		(c) for removal of any encroachment.
		(2) If any person has unauthorized undertaken any activity, then any increase in the land value from such activity shall not be taken into account in estimating the value of land.
Application against award	20.	(1) Any person aggrieved by the Award of the Flood Zoning Authority under sub-section (2) of section 18 may, by an application in writing, apply to the State Government or such other officer as the State Government may authorize in this behalf.
		(2) Any application under sub-section(1) shall be made in such form and in such manner as may be prescribed and shall be made within forty five days from the date of communication of the award.
		(3) The application under this section shall be disposed of in such manner as may be prescribed.
Procedure and powers of authorities in deciding applications	21.	(1) An application under section 20 shall be deemed be proceedings within the meaning of section 141 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 05 of 1908) and in the trial thereof, the authorities empowered to decide a reference may exercise the powers of a civil court.
under section 20		(2) The scope of inquiry shall be restricted to the consideration of the matter referred to the State Government or such other officer as the State Government may authorize in this behalf.
Decision enforceable as decree of civil court	22.	The decision under section 21 shall be enforceable as a decree of a civil court.
Payment under award	23.	On the determination of the compensation under sub-section (1) of section 18, or on the making of an award under sub-section (2) of Section 18 or, if an application is made under section 20 against such award, after decision of the authority, the compensation shall be paid by Flood Zoning Authority and the provisions of section 31 to 35 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 01 of 1894), shall apply to such payment.

\_\_\_\_\_

[The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012]

		CHAPTER-VII		
		POWER TO REMOVE OBSTRUCTIONS AFTER PROHIBITION		
Power to remove obstructions	24.	(1) The Flood zoning Authority may, in accordance with the provisions of this Act, direct any owner or occupier of land to do any act or to remove any un-authorized obstructions within such time as may be specified by it and such owner or occupier shall do such act or remove the obstructions.		
		(2) If owner or occupier fails to comply with the order of the Flood Zoning Authority within the time specified under sub-section (1), the Flood Zoning Authority may cause the act to be performed or cause the obstructions to be removed.		
		(3) All expenses incurred by the Flood Zoning Authority under this section shall be recovered from such owner or occupier as arrears of land revenue.		
		CHAPTER-VIII MISCELLANEOUS		
Preventing Flood Zoning Authority from doing any act to be an offence	25.	Any person who prevents the Flood Zoning Authority in discharging any act imposed on such Authority by or under this Act, shall be deemed to have committed an offence under section 186 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).		
Flood zoning Authority other officers to be public servants	26.	The Flood zoning Authority and other officers and employees authorized under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).		
Protection of action taken in good faith	27.	(1) No suit, Prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any authority or person exercising any power or performing any duty under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or an order made thereunder.		
		(2) No suit, or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.		
Recovery of fine	28.	All fines imposed under this Act shall be recovered in the manner provided in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 02 of 1974).		
Power of Court	29.	A Civil Court shall have jurisdiction to settle, decider or deal with any question which is by or under this Act required to be settled, decided or deal with by the Flood Zoning Authority or such other officer as is authorized by the State Government in this behalf.		

\_\_\_\_\_

#### [The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012]

Power to make rules	30.	(1)	The State Government may, by notification in the Official Gazette make rules to carry out the purposes of this Act.
		(2)	In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for
			(a) the manner in which charts and records shall be maintained;
			(b) the form and manner in which application under section 20 shall be made and the manner in which such application shall be disposed of; and
			(c) any other matter which has to be, or may be, prescribed.
		(3)	Every rule made under this Act shall by laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of 14 days which may be comprised in one session or two or successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
Repeal and Saving	31.	(1)	The Uttarakhand Flood Plain Zoning Ordinance, 2012 is hereby repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

\*\*\*\*\*\*\*\*



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

# विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 16 मार्च, 2024 ई0 फाल्गुन 26, 1945 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन विघायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 118/XXXVI (3)/2024/02(1)/2024 देहरादून, 16 मार्च, 2024

अधिसूचना

#### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024 ' पर दिनांक 16 मार्च, 2024 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 08, वर्ष— 2024 के रूप में सर्व—साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2024)

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-07, 2013 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

विस्तार और

प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम, 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) अधिनियम 2024 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 12 की उपधारा संशोधन (1) में-

- (i) परन्तुक में "अठारहः मास" शब्दों के स्थान पर "चौबीस मास" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें.
- (ii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित कर दिया जायेगा. अर्थात

परन्तु यह और कि, यदि राज्य सरकार जनहित में निर्णय लेती है, नदी क्षेत्र के तटीय विकास कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य करने से इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाली भू-सम्पदा तथा मौजूदा भवन संरचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है तो निर्गत अन्तिम अधिसूचना में, धारा 8, 9, 10 तथा 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकेगी।

> आज्ञा से. नितिन शर्मा, प्रमुख सचिव।

# उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की मागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि नैनीताल में "माइन्ड पावर यूनिवर्सिटी," देहरादून में "डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय", देहरादून में "माया देवी विश्वविद्यालय", उत्तरकाशी में "श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय" के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेगें। उक्त विश्वविद्यालयों का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धित के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को प्रीक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

आम्रपाली विश्वविद्यालय को भी उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 के अधीन निगमित किया जाना है।

वैश्वक स्तर पर शैक्षणिक संस्थान को पुनः स्थापित करने, अखिल भारतीय स्तर पर विश्वविद्यालय के संचालन का विस्तार करने एवं वैश्विक भागीदारी बढाने के दृष्टिगत हिमगिरी जी विश्वविद्यालय एवं हिमालयीय विश्वविद्यालय के नाम की अन्य शिक्षण संस्थाओं व विश्वविद्यालयों से नाम की समानता होने के कारण विश्वविद्यालय संचालन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के निवारण किये जाने के दृष्टिगत उक्त विश्वविद्यालयों के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता हैं।

डा0 धन सिंह रावत मंत्री

#### No. 118/XXXVI(3)/2024/02(1)/2024 Dated Dehradun, March 16, 2024

#### **NOTIFICATION**

#### Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2024' (Act No. 08 of 2024).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16<sup>th</sup> March, 2024.

# The Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2024

(Uttarakhand Act No. 08 of 2024)

An

Act

further to amend The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012(Uttarakhand Act. 07 of 2013) (as amended from time to time)

Be it enacted by the Uttarakhand State Assembly in the 75<sup>th</sup> Year of the Republic of the India as follows-

Short title, extent and commencement

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2024
  - (2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.
  - (3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 12

- In subsection (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012-
  - (i) In proviso, for the words "eighteen months" the words "twenty four months" shall be substituted
  - (ii) After the proviso, the following proviso shall be inserted namely;-

Provided further that, if State Government take decision in public interest, that affected land and existing buildings can be protected by executing river bank development, the final notification issued, may be amended as per the requirement by following the procedure prescribed under sections 8,9,10 and 11"

By Order,

NITIN SHARMA, Principal Secretary. 24-2026

# Statement of Objective and reasons

To encourage the development of the State as an education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it has been decided by the state Government that private Universities with the name "Mind Power University" Nainital, "DBS Global University", Dehradun, "Maya Devi University", Dehradun and "Smt. Manjira Devi University" Uttarkashi, shall be established. The aim of the said Universities is to provide innovation of education, new method of teaching and learning and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class, to promote state related research programmes and to provide employment resources.

Amrapali University is also to be incorporated under the Uttarakhand Private Universities Act, 2023.

In view of, re-establishing the educational institution at the global level, expanding the operation of the university at the all India level and increasing global participation for the Himgiri Zee University and to overcome the difficulties arising in running the Himalayiya University due to the similarity of the name of the University with other educational institutions and universities; it is expedient to amend the name of the above said Universities.

2- The proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat Minister